न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, गरौठा, झाँसी।

मुकदमा संख्या- 2591/ 2021

श्रीमती हीरा रानी बनाम मनीष आदि।

धारा- 452,323 भा. दं. सं.

थाना- गुरसरांय, जिला- झांसी।

दिनांक- 11. 10. 2022

पत्रावली पेश हुयी। पत्रावली वास्ते आदेश नियत है।

प्रस्तुत परिवाद पत्र पूर्व में आवेदिका श्रीमती हीरा रानी द्वारा विपक्षीगण मनीष, जलूटे, श्रीमती राधा, कृतिका व श्रीमती पिंकी के विरूद्ध प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों के आधार पर न्यायालय में तलब कर दण्डित किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया।

परिवादिनी द्वारा प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर संक्षेप में कथन किया है कि प्रार्थिनी दिनाँक 03. 10. 2021 को समय करीब 08:00 बजे सुबह अपने मकान के अन्दर का काम काज झाड़ू, पोथा कर रही थी , उसी समय विपक्षीगण मनीष, जलूटे, श्रीमती राधा, कृतिका व श्रीमती पिंकी निवासीगण ग्राम मडोरी थाना गुरसरायं अपने हाथों में डण्डा लेकर मेरे मकान के अन्दर आकर मुझे बुरी- बुरी गालियां देने लगे और कहने लगे कि रास्ता में जो सरकारी हैण्डपम्प लगा है , उसमें मेरा पानी वाला पाईप लगा था, उसे तुमने निकालकर अपना पानी क्यों भरा। प्रार्थिनी ने इस पर विपक्षीगणों से कहा कि मुझे भी निस्तार के लिये पानी की जरूरत पड़ती है तथा यह सरकारी हैण्डपम्प है। तुम्हें अकेले पानी भरने का कोई अधिकार नहीं है। इसी बात पर उपरोक्त विपक्षीगण एक राय होकर मेरी मारपीट करने लगे तथा महिलाओं ने मेरे बाल एवं बलाउज पकड़कर जमीन पर गिया दिया और मेरे कपड़े फाड़ दिये तथा लात घूंसों से मेरी मारपीट की एवं मनीष व जलूटे ने डण्डे से मारा पीटा जिससे मेरे हाथ पैर पेट में चोटे आयी। प्रार्थिनी के रोने व चिल्लाने की आवाज सुनकर रास्ते से गुजर रहे भारत पुत्र आशाराम व राम प्रकाश पुत्र कूरे मेरे रोने व शोरगुल की आवाज सुनकर मेरे मकान के अन्दर आ गया और इन लोगों से मुझे बचाया व घटना देखी। प्रार्थिनी ने उक्त घटना की रिपोर्ट थाना गुरसरांय में उसी दिन दिया लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुयी। दूसरे दिन पुलिस थाना गुरसरांय द्वारा मनीष के विरूद्ध धारा 151/ 107/ 116 जा०फौ० की तहत कार्यवाही की। प्रार्थिनी ने दिनाँक 07. 10. 2021 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झाँसी को जरिये डाक पत्र प्रेषित किया, किन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई।

प्रार्थिनी द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र के समर्थन में स्वयं का शपथ पत्र, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झांसी को दिये प्रार्थना पत्र की प्रति मय डाक रसीद एंव अन्तर्गत धारा 151/ 107/ 116 जा० फौ० की नकल छायाप्रति दाखिल की है।

आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं पत्रावली का परिशीलन किया।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित विधि व्यवस्था Smt. Nagawwa vs Veeranna Shivallngappa Konjalgi on 23 April, 1976 1976 AIR 1947, 1976 SCR 123 में यह अवधारित किया गया है कि-

(2) (a) At the stage of issuing the process the Magistrate is mainly concerned with allegations made in the complaint or the evidence led and he is only. to be prima facie satisfied whether there are sufficient grounds for proceeding against the accused. It is not the province of the Magistrate to enter into a detailed discussion on the merits or demerits of the case. The scope of the inquiry under s. 202 Cr. P. C. is extremely limited - limited to the ascertainment of the truth or falsehood of the allegations made in the complaint: (1) on the materials placed by the complainant before the court (ii) for the limited purpose of finding out whether a prima facie case for issue of process had been made out and (iii) for deciding the question purely from the point of view of the complainant without at all adverting to any defence

that the accused may have. In proceedings under s. 202 the accused has got absolutely no locus standing and is not entitled to be heard on the question whether the process should be issued against him or not. [126 F; 127 E-F] 124

(b) In coming to a decision as to whether a process should be issued the Magistrate can take into consideration inherent improbabilities appearing on the face of the complaint or in evidence led by the complainant in support of the allegations. Once the Magistrate has exercised judicially the discretion given to him it is not for the High Court or even this Court to substitute its own discretion for that of the Magistrate or to examine the case on merits with a view to find out whether or not the allegations in the complaint, if proved, would ultimately end in conviction of the accused. These considerations are totally foreign to the scope and ambit of inquiry under 5. 202 of the Code of Criminal Procedure, which culminates in an order under s. 204 of the Code. [127G-H; 128A-B]

उपरोक्त नजीर में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा धारा 204 दं. प्र. सं. के अन्तर्गत आदेशिका जारी करने हेतु विधिक सिद्धांतों को अभिलिखित कर मजिस्ट्रेट को पगदर्शित किया है। उक्त के आलोक में प्रस्तुत प्रकरण में निम्नलिखित विश्लेषण किया जाता है-

परिवादिनी की ओर से अपने सशपथ कथन अन्तर्गत धारा 200 दं. प्र. सं. में यह कथन किया गया है कि *"घटना दिनाँक 03. 10. 2021 को समय करीब 08:00 बजे सुबह की है। जब मैं अपने घर में थी।. . . मैं घर पर अकेली थी, तभी कृतिका पत्नी बिल्ले घर के अन्दर आकर मुझसे पूछा कि पानी क्यों भर रही है, जिस पर मैने कहा कि मुझे पानी की जरूरत थी , तभी कृतिका ने मारना पीटना शुरू कर दिया, तभी पिंकी पत्नी मनीष व जलूटे पुत्र अज्ञात अन्दर आ कर मुझे मारने पीटने लगे तभी भारत पुत्र आशाराम घर के अन्दर आये तब जाकर मेरी जान बची।"*

परिवादिनी की ओर से अपने कथनों के समर्थन में दो साक्षियों सी० डब्लू०- 1 अलख प्रकाश एवं साक्षी सी०डब्लू०- 2 भारत सिंह को परीक्षित कराया गया है, जिनके द्वारा परिवादिनी के कथनों का समर्थन किया गया है।

चूंकि परिवादिनी जो कि प्रस्तुत मामले में पीड़िता भी है, ने अपने बयान/ परीक्षा 200 दं. प्र. सं. में विपक्षीगण कृतिका पत्नी बिल्ले, पिंकी, पत्नी मनीष व जलूटे पुत्र अज्ञात को उक्त घटना के संबंध में नामित किया है एवं अन्य किसी विपक्षीगण को नामित नहीं किया है। अतः उक्त मौखिक व दस्तावेजी के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला 452,323 भा. दं. सं. विपक्षीगण कृतिका पत्नी बिल्ले, पिंकी, पत्नी मनीष व जलूटे पुत्र अज्ञात के विरुद्ध इस स्तर पर बनना परिलक्षित होता है।

परिवादिनी द्वारा फेहरिस्त गवाहान पत्रावली पर दाखिल की जा चुकी है।

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर विपक्षीगण कृतिका पत्नी बिल्ले, पिंकी, पत्नी मनीष व जलूटे पुत्र अज्ञात के विरूद्ध धारा- 452,323 भा. दं. सं. के तहत विचारण हेतु आपराधिक मामला गठित होता है। अतः विपक्षीगण कृतिका पत्नी बिल्ले, पिंकी, पत्नी मनीष व जलूटे पुत्र अज्ञात को धारा- 452,323 भा. दं. सं. में तलब करने हेतु प्रथम दृष्टया आधार पर्याप्त है।

<u>आदेश</u>

विपक्षीगण कृतिका पत्नी बिल्ले, पिंकी, पत्नी मनीष व जलूटे पुत्र अज्ञात को धारा- 452,323 भा. दं. सं. में विचारण हेतु जरिये सम्मन तलब किया जाता है। परिवादिनी नियमानुसार पैरवी अन्दर सप्ताह करना सुनिश्चित करे। पत्रावली वास्ते हाजिरी दिनांक 03. 11. 2022 को पेश हो।

(सुनील शेखर)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
गरौठा, झाँसी।